तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19.03.25	पत्रावली पेश हुई। वादीनी अधिवक्ता उपस्थित वादीनी उपस्थित। वादीनी PW1 का साक्ष्य शपथ पेश किया। कई दस्तावेज मय असल विक्रय पत्र दिनांक 16.06.2000 पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीनी PW1 के साक्ष्य बयान लेखबद्ध किए गए। दस्तावेज प्रदर्श-1 – प्रदर्श-5 करवाये गए। वादीनी अधिवक्ता अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 25-03-2025 को पेश हो।
25-03-25	पत्रावली पेश हुई। वादीनी अधिवक्ता उपस्थित वादीनी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 27-03-2025 को पेश हो।
27.03.2025	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। वादिया अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बूंदी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

वाद संख्या 07 / 2023
दायरा दिनांक 31.01.2023

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

1. श्रीमती उषा पत्नी बिजेन्द्रपाल सिंह जाति जाट निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 हाल निवास महालक्ष्मीपुरम बांरा रोड, कोटा, राज0।

–वादिया

बनाम

1. पप्पू आ0 मिश्रिया जाति माली निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2. टिल्लू आ0 मिश्रिया जाति माली निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
3. प्रेम बाई विधवा मिश्रिया जाति माली निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थित

1.श्री महेन्द्र रेबारी — अधिवक्ता वादीया
2. अनुपस्थित(एकपक्षीय) — अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4

दिनांकः–27.03.2025

निर्णय

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादिया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1349 रकबा 2.19है0 वाके ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है जिसका खातेदार भैरूलाल, चौथमल पिसरान मिश्रिया, प्रेम बाई बेवा मिश्रिया जाति माली निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी खातेदार टीनेन्ट थे जिन्होनें जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.06.2000 द्वारा श्रीमती उषा पत्नी विजेन्द्रपाल सिंह जाति जाट निवासी बडाखेडा को विक्रय कर दिया है और तभी से क्रेता उषा जाट काबिज होकर काश्तकारी करती आ रही है। उक्त भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.06.2000 से श्रीमती उषा पत्नी विजेन्द्रपाल सिंह जाति जाट द्वारा खरीद किया और उस विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 200 स्वीकार किया गया और जमाबंदी सम्वत 2055 से 2058 में खातेदारी अंकन किया जाकर जमाबंदी बनाई गई एवं खातेदारी की पास बुक तहसीलदार इन्द्रगढ़ व पटवारी द्वारा जारी करते हुए खाता संख्या 295 कायम किया गया। इस प्रकार उक्त भूमि की मालिक व खातेदार टीनेंट वादीनी है इसके अलावा कोई नहीं है। सम्वत् 2055 से 2058 के बाद की जमाबंदी बनाई गई उसमें वादीनी के नाम का अंकन हटाकर वापिस विक्रेता भैरूलाल, चौथमल पि0 मिश्रिया प्रेमबाई

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

विधवा मिश्रिया माली निवासी बडाखेडा के नाम दर्ज कर दिया जो गलत एवं अवैध है क्योंकि जब वादीनी क्रेता का नाम से विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल खुल चुका व जमाबंदी में नोट अंकित कर दिया फिर वापिस विक्रेता का नाम अंकित कर दिया जो गलत है तथा तब विक्रय कृषि भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की जा चुकी है तो पुनः विक्रेतागण का नाम रेकॉर्ड में नहीं आता किन्तु अंकन कर दिया जो गलत एवं अवैध है इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिलिभगत करके वापिस विक्रेता का नाम लिखा वह निरस्तनीय व खारिज योग्य है। विक्रेतागण द्वारा अपना नाम भैरूलाल के स्थान पर पप्पू व चौथमल के स्थान पर टिल्लू पि0 मिश्रिया माली करवा लिया जो कि सजा के पात्र है। उक्त खसरा व अन्य खातेदारी खसरा संख्या पर नाम परिवर्तन करवाकर व गलत तथ्य प्रस्तुत करके अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है तथा खसरा संख्या 1053, 1054, 1055 को तो किसी व्यक्ति रणजीत पारेता को विक्रय कर दिया है तथा खसरा संख्या 1349 स्वयं विक्रेतागण के नाम जो वर्तमान में पप्पू, टिल्लू, प्रेमबाई के नाम अंकित है एवं उन्हें इस बात का ध्यान है उक्त वाद विषयक भूमि पहले ही विक्रय की जा चुकी है इस कारण उक्त खसरा संख्या विक्रय नहीं किया गया है क्योंकि वादिनी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। वादीनी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1349 रकबा 2.19है0 को मेरे खाते लगवाओ व जमाबंदी दुरूस्त करवाओं किन्तु प्रतिवादीगण ने कोई जवाब नहीं दिया एवं कब्जा करने की धमकी दी गई। वादीनी ने अंतिम बार दिनांक 16.01.2023 को प्रतिवादीगण से निवेदन किया किन्तु उन्होनें मना कर दिया तभी से वाद निरन्तर उत्पन्न हो रहा है। वादीनी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय में वाद दायर करें एवं अपने अधिकारों की विधिवत घोषणा करवाये एवं उक्त कृषि भूमि अपने नाम खातेदारी में अंकित करवाये। अन्त में निवेदन किया कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1349 रकबा 2.19है0 वाके ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ पर वादीनी को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे जबरन वादीनी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें।

वादीनी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पत्रावली में वादीया के साक्ष्य करवाये गए। वादीया ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 सत्यापित प्रति जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 खतौनी संख्या 295 वाके ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़, प्रदर्श–2 नकल नामांतकरण संख्या 200 वाके ग्राम बडाखेडा, प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 वाके ग्राम बडाखेडा, प्रदर्श–4 असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.06.2000 एवं नकल भूमि पास बुक खाता संख्या 295, नकल जमाबंदी सम्वत् 2063–2066 खतौनी संख्या 343 वाके ग्राम बडाखेडा, नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 खतौनी संख्या 335 वाके ग्राम बडाखेडा, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खतौनी संख्या 809 वाके ग्राम बडाखेडा पेश किए।

पत्रावली पर वादीनी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। वादीनी अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए तर्क दिया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1349 रकबा 2.19है0 वाके ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ को खातेदार भैरूलाल, चौथमल पि0 मिश्रिया, प्रेमबाई वेवा मिश्रिया जाति माली द्वारा दिनांक 16.06.2000 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादीनी को विक्रय कर दी गयी थी जिसका नामांतकरण वादीनी के नाम तस्दीक किया जाकर जमाबंदी में नोट अंकित किया जा चुका था किन्तु सम्वत् 2055 से 2058 के बाद की जमाबंदी बनाई गई उसमें वादीनी के नाम का अंकन हटाकर वापिस विक्रेता भैरूलाल, चौथमल पि0 मिश्रिया प्रेमबाई विधवा मिश्रिया माली निवासी बडाखेडा के नाम दर्ज कर दिया जो गलत

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

एवं अवैध है जिससे विक्रेतागण को वादग्रस्त भूमि बाबत् कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। विक्रेतागण द्वारा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम परिवर्तन करवाकर टिल्लू पुत्र मिश्रिया, पप्पूलाल पुत्र मिश्रिया करवा लिया गया है जबकि उक्त भूमि बाबत् रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में उनका नाम भैरूलाल, चौथमल था। वादग्रसत भूमि को खातेदार द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादिनी को विक्रय किया जा चुका है जिससे कानूनन वादिनी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम विलोपित करवाकर स्वयं को उनके स्थान पर खातेदार कृषक घोषित करावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावें।

हमने वादीनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज प्रदर्श–4 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि खाता संख्या 295 के खसरा संख्या 1349 रकबा 2.19है0 वाके ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ के खातेदार भैरूलाल, चौथमल आत्मज मिश्रिया व प्रेमबाई बेवा मिश्रिया जाति माली ने दिनांक 23.06.2000 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त भूमि का बैचान वादिनी उषा पत्नी बिजेन्द्रपाल सिंह जाति जाट निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ को कर दिया गया था। प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 के अवलोकन से यह जाहिर है कि उक्त रजिस्टर्ड बैचान नामा के आधार पर उक्त भूमि की जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 में नामांतकरण संख्या 199 से वादिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की स्वीकृति बाबत नोट अंकित किया गया है। पत्रावली में उपस्थित नकल पास बुक में खाता संख्या 295 के खसरा संख्या 1349 रकबा 2.19है0 वाके ग्राम बडाखेडा में वादिनी श्रीमती उषा पत्नी विजेन्द्र पाल सिंह जाति जाट का नाम अंकित है जो वादिनी के वाद पत्र को बल देता है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2063–66 में उक्त प्रश्नगत अराजी खसरा संख्या 1349 रकबा 2.19है0 पर विक्रेतागण भैरूलाल, चौथमल पि0 मिश्रीया, प्रेमबाई बेवा मिश्रीया का नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है किन्तु जमाबंदी में उनके नाम पुनः इन्द्राज संबंधी कोई नोट अंकित नहीं किया गया है जिससे प्राथमिक दृष्ट्या यह स्पष्ट होता होता है कि विक्रेतागण का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है जिससे कानूनन विक्रेतागण के स्वामित्वं एवं हक अधिकार उक्त भूमि में निहित नहीं हो जाते है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 में अंकित नोट से जाहिर आता है कि नामांतकरण संख्या 1341 नि0दि0 24.07.2015 से भैरूलाल,चौथमल पि0 मिश्रिया के स्थान पर उनका नाम पप्पूलाल टिल्लू पि0 मिश्रिया राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रश्नगत भूमि का बैचान वादिनी उषा पत्नी बिजेन्द्रपाल सिंह जाति जाट निवासी बडाखेडा को करना प्रदर्श–4 से भली भांती साबित है। प्रदर्श–3 में प्रश्न गत आराजी खाता संख्या 266 खसरा संख्या 1349 रकबा 2.19है0 में प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के नाम सहवन से दर्ज है जिससे उनको उक्त आराजी बाबत् कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। वादिनी प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से वाद पत्र में अंकित कथनों को साबित करने में सफल रही है। हमारे मत में वादिनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद विषयक कृषिभूमि खाता संख्या नया 266 के खसरा संख्या 1349 रकबा 2.19है0 वाके ग्राम बडाखेडा पटवार हल्का बडाखेडा भू0अभि0नि0 क्षेत्र बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम विलोपित किया जाकर वादिन उषा पत्नी बिजेन्द्रपाल सिंह जाति जाट निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादिनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलांदाजी नहीं करें। शेष इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेंगे। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक27.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी... मुकाम.............लाखेरी..........................
व इजलास........श्रीमती भावना सिंह(आर0ए0एस)..

श्रीमती उषा पत्नी बिजेन्द्रपाल सिंह बनाम जाति जाट निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 हाल निवास महालक्ष्मीपुरम बांरा रोड, कोटा, राज0।

—वादिया

बनाम

1. **पप्पू आ0 मिश्रिया जाति माली निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।**
2. **टिल्लू आ0 मिश्रिया जाति माली निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।**
3. **प्रेम बाई विधवा मिश्रिया जाति माली निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।**
4. **राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।**

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88,89,188 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर 7/दावा/2023 सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे...........व हाजिरी .....वादिया अधिवक्ता श्री महेन्द्र रेबारी ......मिनजानिब मुद्दई रूबरू...प्रतिवादीगण...................... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि —
वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद विषयक कृषिभूमि खाता संख्या नया 266 के खसरा संख्या 1349 रकबा 2.19है0 वाके ग्राम बडाखेडा पटवार हल्का बडाखेडा भू0अभि0नि0 क्षेत्र बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम विलोपित किया जाकर वादिन उषा पत्नी बिजेन्द्रपाल सिंह जाति जाट निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादिनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलांदाजी नहीं करें। शेष इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेंगे।
निज......................................मुबलिग...बाबत...
.................खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....
....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 03 सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।